डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विद्या परिषद् का 56वां उपवेशन

10 मार्च 2025

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Akhilesh Kumar Pipal
Designation : Registrar
Date: 2025.03.12 14:30:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14157880

फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **56**वां उपवेशन दिनाँक **10.03.2025** को माननीय कुलपति महोदय प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में दोपहर **03.30** बजे व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
3. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
4. डॉ. राजाराम अग्रवाल, एसो.प्रोफेसर, रसशास्त्र एवं बी.के. विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन उपस्थित हुए :-

1. प्रो. जयराम चौधरी, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
2. प्रो. मोहम्मद आजम अंसारी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
3. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
4. प्रो. प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. प्रो. शिव कुमार भारद्वाज, प्राचार्य, शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
6. प्रो. प्रदीप शर्मा, युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च संस्थान, अलवर
7. प्रो. मोहम्मद जावेद, राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर
8. डॉ. किशोरी लाल शर्मा, एसो.प्रोफेसर, स्नातकोत्तर क्रिया शरीर विभाग, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नही हो सके :-

1. डॉ. टी.पी. यादव, कुलसचिव, राजस्थान होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Akhilesh Kumar Pipal
Designation : Registrar
Date: 2025.03.12 14:30:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14157880

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनाँक **10** मार्च **2025** को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
1.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनाँक 25 अक्टूबर 2024 के अनुपालना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2.	विश्वविद्यालय को अष्टम दीक्षान्त समारोह में 31 दिसम्बर, 2024 तक के उत्तीर्ण छात्रों एवं इन्टर्नशिप पूर्ण बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एन.वाई.एस., बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद, एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद, एम.डी. होम्योपैथी एवं पीएच.डी. आयुर्वेद पाठ्यक्रम की उपाधियों, स्वर्ण पदक एवं वरीयता की सूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
3.	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा माह दिसम्बर, 2024 - जनवरी, 2025 की समस्त परीक्षाओं Unfair Means Case अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
4.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के खण्ड के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में पृथक-पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं समस्त प्रश्न पत्रों के सैद्धांतिक अंकों का 50 प्रतिशत उत्तीर्ण होने के लिये अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। किसी भी प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत से कम अंक होने की स्थिति में सम्बंधित छात्र को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाना चाहिए एवं ऐसे छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी प्रदान नही किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	उक्त प्रसंग में विचार-विमर्श कर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बैच 2024 से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, अधिसूचना, नई दिल्ली 01 अक्टूबर 2024 को लागू किया जाना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5.	विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 27.06.2023 में एजेण्डा बिन्दु संख्या - 11 के उपबिन्दु 03 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में विशेष परिस्थितियों में सहायक की उपलब्धता एवं विशेष योग्यजनों को अतिरिक्त समय 30 मिनट प्रदान करने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया साथ ही प्रत्येक केस में पृथक से विश्वविद्यालय से अनुमति ली जाएगी व विशेष परिस्थितियों में सहायक की योग्यता 12वी/स्नातक (मेडिकल संकाय को छोडकर) तक ही सीमित रहेगी का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार उक्त बिन्दु में विशेष योग्यजनों की श्रेणी का निर्धारण करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत है।	उक्त प्रसंग में विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में विशेष परिस्थितियों यथा - विशेष योग्यजन की श्रेणी में 1. दृष्टिबाधित (Low Vision) 2. लोकोमोटर डिसेबिलिटी (हाथ से दिव्यांग) को सक्षम स्तर से स्वीकृति पश्चात् अतिरिक्त समय 30 मिनट प्रदान करने एवं सहायक की उपलब्धता का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। Signature valid Digitally signed by Akhilesh Kumar Pipal Designation : Registrar Date: 2025.03.12 14:30:32 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14157880

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
6.	पीएच.डी. नवीन नियम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली (NCISM) व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नवीन गाईड लाईन 2024 के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से पारित कर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। पीएच.डी. से सम्बन्धित फीस के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय में निर्धारित फीस लिए जाने का निर्णय लिया गया। यदि यू.जी.सी./एन.सी.आई.एस.एम. पीएच.डी. शोध कार्य हेतु अनुदान राशि उपलब्ध करवाता है तो यू.जी.सी./एन.सी.आई.एस.एम. द्वारा निर्धारित फीस लिए जाने का निर्णय लिया गया।
7.	पंचगव्य चिकित्सा एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु गठित कमेटी के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	पंचगव्य चिकित्सा एक वर्षीय प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साथ ही अन्य संस्थान उक्त पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करती है तो सम्बद्धता शुल्क लिए जाने का निर्णय लिया गया तथा विषय की उपयोगिता को देखते हुए दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी बनाने की स्वीकृति दी जाती है।
8.	विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक अधिकारियों को 15 दिवस का शैक्षणिक अवकाश की स्वीकृति के अनुमोदन बाबत।	विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक अधिकारियों के लिए 15 दिवस का शैक्षणिक अवकाश देने का निर्णय लिया गया, परन्तु शैक्षणिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के सन्दर्भ में अन्य समकक्ष संस्थानों में प्रचलित नियमों का अध्ययन कर नियम निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :- 1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष 2. डीन, यूनानी, सदस्य 3. डीन, होम्योपैथी, सदस्य 4. डीन, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सदस्य
9.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। 1. विश्वविद्यालय को अष्टम दीक्षांत समारोह में 31 दिसम्बर, 2024 तक के उत्तीर्ण छात्रों एवं इन्टर्नशिप पूर्ण बी.ए.एम.एस., पाठ्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेद महाविद्यालय, चौमू जयपुर के 05 छात्रों की उपाधी हेतु सूची दिनांक 10.03.2025 को प्राप्त हुई है। उक्त सूची को विद्या परिषद् का आगामी उपवेशन दिनांक 10 मार्च 2025 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	1. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। Signature valid Digitally signed by Akhilesh Kumar Pipal Designation : Registrar Date: 2025.03.12 14:30:32 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14157880

क्र.सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय
	2. आयुर्वेद की नियामक संस्था एन.सी.आई.एस.एम. द्वारा आयुर्वेद के प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को Must to know/ Desirable to know/Nice to know & Cognitive/ Comprehension में विभाजित कर अध्ययन करने हेतु लिखा है। साथ ही प्रश्न-पत्र भी बिन्दुवार दो अंक, पांच अंक एवं दस अंक निर्धारित किए हुए है एवं प्रत्येक छः माह में तीन पी.ए. (Periodic Assessment) एवं एक टी.टी. (Term Test) प्रत्येक विषय में अनिवार्य किया हुआ है। जिससे अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का अध्ययन प्रभावित हो रहा है। अतः इस सन्दर्भ में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	विश्वविद्यालय की नियामक संस्था एन.सी.आई.एस.एम. द्वारा आयुर्वेद के प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव को विश्वविद्यालय के सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में लागू करने एवं समयानुसार परिवर्तन करने हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :- 1. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष 2. डीन, यूनानी, सदस्य 3. डीन, होम्योपैथी, सदस्य 4. डीन, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सदस्य 5. डॉ. राजाराम अग्रवाल, परीक्षा नियन्त्रक, सदस्य उक्त समिति को दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 02 से 06 तक)।

कुलसचिव
(सदस्य सचिव)

Signature valid
Digitally signed by Akhilesh Kumar Pipal
Designation : Registrar
Date: 2025.03.12 14:30:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14157880